रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 25—मार्च 2, 2012 (फाल्गुन 6, 1933)

No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 25—MARCH 2, 2012 (PHALGUNA 6, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	47
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	197
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	3
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	177
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	409
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	3379
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	67
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	47
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	197
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	177
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the -Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	409
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3379
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	67
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 2011

संकल्प

सं. पी-20030/1/2003-पीपी खंड-II (भाग)--सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा "पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ" के सृजन के संबंध में दिनांक 30 मार्च, 2002 के संकल्प संख्या पी-20029/22/2001-पीपी में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :--

(क) दिनांक 30 मार्च, 2002 के उक्त संकल्प के अनुबंध, जिसमें प्रकोष्ठ की संरचना दर्शाई गई है, में पदनाम "निदेशक" को "महानिदेशक" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) दिनांक 30 मार्च, 2002 के उक्त संकल्प के अनुबंध, जिसमें प्रकोष्ठ की संरचना दर्शाई गई है, में "वित्त और लेखा" शीर्ष के तहत् पदनाम "अपर निदेशक" को "निदेशक (वित्त)" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. उक्त संकल्प में अन्य प्रविष्टियां पहले की तरह ही बनी रहेंगी।

3. ये संशोधन सरकारी राजपत्र में इस संकल्प के प्रकाशित होने की तारीख को प्रभावी होंगे।

एल. एन. गुप्ता
संयुक्त सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 फरवरी 2012

संकल्प

सं. ई-11016/1/2009-हिंदी--कोयला मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के गठन संबंधी दिनांक 23.03.2011 के समसंख्यक "संकल्प" में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया जाता है :--

श्री जितेन्द्र सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा), सदस्य के स्थान पर श्री रघुवीर सिंह मीणा, संसद सदस्य (लोक सभा) को सदस्य के रूप में प्रतिस्थापित किया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि "संकल्प" की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, योजना आयोग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा कोयला मंत्रालय और इसके अधीन सभी कंपनियों/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

कैलाश पति
आर्थिक सलाहकार एवं
सदस्य सचिव, हिन्दी सलाहकार समिति

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 जनवरी 2012

मोबाइल-शासन के लिए ढांचा

सं. 9 (6)/2010-ईजी.II (भाग. II)--जबकि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी), संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) चला रही है जिसका उद्देश्य एनईजीपी के दृष्टिकोण वक्तव्य में कहे अनुसार सार्वजनिक सेवाओं को जनता के निकट लाना है : "आम आदमी को उसके इलाके में सभी सरकारी सेवाओं को सामान्य सेवा प्रदायगी केन्द्रों के जरिए उपलब्ध कराना और आम आदमी की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम मूल्य पर ऐसी सेवाओं की कार्य क्षमता, पारदर्शिता और विश्वनीयता सुनिश्चित करना"

और जबकि, एनईजीपी दृष्टिकोण के विस्तार के रूप में तथा देश में व्यापक मोबाइल फोन उपभोक्ता आधार का संज्ञान रखते हुए, भारत सरकार ने मोबाइल उपकरणों के जरिए सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता के प्रावधान का भी निर्णय किया है, इस प्रकार ई-शासन की प्रकृति के अंतर्गत नये प्रतिमान के रूप में मोबाइल-शासन (एम-गवर्नेन्स) की स्थापना हुई है।

और जबकि, मोबाइल शासन पर एक सुव्यवस्थित ढांचे से देश में शहरी तथा ग्रामीण जनता के लिए सार्वजनिक सेवाओं की पूर्ण प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध रूप में एम-शासन के क्रमिक स्वीकरण और नियोजन में भारत सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगी।

और जबकि, सक्षम प्राधिकारी ने मोबाइल-शासन के लिए ढांचे को अनुमोदित कर दिया है।

अब यह विभाग एतद्द्वारा http://egovstandards.gov.in और www.mit.gov.in पर प्रकाशित मोबाइल-शासन के लिए ढांचे के इस्तेमाल को अधिसूचित करता है जिसमें (क) भारत सरकार का उद्देश्य मोबाइल फोन के व्यापक प्रसार का इस्तेमाल करना और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओं की आसानी से हर समय उपलब्धता के लिए मोबाइल अनुप्रयोगों की क्षमता का इस्तेमाल करना है; तथा (ख) इस ढांचे का उद्देश्य देश में अधिसूचना की तारीख से एम-शासन के लिए अनूठी अवसंरचना तथा अनुप्रयोग विकास इकोसिस्टम की स्थापना करना है।

सतवीर सिंह
संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 25th February 2011

RESOLUTION

No. P-20030/1/2003-PP Vol. II (Part).—The Competent Authority hereby makes the following amendments in the Resolution No. 20029/22/2001-PP dated 30th March, 2002 in relation to the creation of "Petroleum Planning and Analysis Cell" :—

(a) In the said Resolution dated 30th March, 2012 in the Annexure providing structure of the Cell, the designation "Director" shall be substituted by "Director General".

(b) In the said Resolution dated 30th March, 2002 the Annexure providing structure of the Cell, the designation "Additional Director" under the heading "Finance and Accounts" shall be substituted by "Director (Finance)".

2. Other entries in the said Resolution will continue to remain as such.

3. The amendments shall come into force on the date of publication of this Resolution in the Official Gazette.

L. N. GUPTA
Jt. Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi-110001, the 10th February 2012

RESOLUTION

No. E-11016/1/2009-Hindi—The following partial modification is carried out in the resolution of even number dated 23rd March, 2011 relating to the constitution of Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Coal.

Shri Jitendra Singh, M.P. (Lok Sabha), Member may be replaced by Shri Raghuveer Singh Meena, M.P. (Lok Sabha), as Member.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, President Secretariat, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Planning Commission, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, all the Ministries/Departments of the Government of India and all Companies/Subordinate Offices/Undertakings/ Autonomous Bodies under Ministry of Coal.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

KAILASH PATI
Economic Adviser &
Member Secy., Hindi Salahakar Samiti

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 18th January 2012

FRAMEWORK FOR MOBILE GOVERNANCE

No. 9(6)/2010-EG-II (Part-II)—WHEREAS Department of Information Technology (DIT), Ministry of Communications & Information Technology, Government of India (GoI), is driving the National e-Governance Plan (NeGP) that aims to bring public services closer home to the populace, as articulated in the Vision Statement of NeGP: "Make all Government Services accessible to the common man in his locality, through common service delivery outlets, and ensure efficiency, transparency, and reliability of such services at affordable costs to realise the basic needs of the common man."

AND WHEREAS, as an extension of the NeGP Vision, and in cognizance of the vast mobile phone subscriber base in the country, the Government of India has decided to also provision for access of public services through mobile devices, thereby establishing mobile Governance (m-Governance) as a new paradigm within the ethos of e-Governance.

AND WHEREAS, a well laid Framework on Mobile Governance would play a critical role in enabling Government of India to progressively adopt and deploy m-Governance in a time-bound manner to ensure inclusive delivery of public services to both the urban and rural populace in the country in accordance with the Framework.

AND WHEREAS, the Competent Authority has approved the Framework for Mobile Governance.

NOW, this Department hereby notifies the use of Framework for Mobile Governance published on http.://egovstandards.gov.in and www.mit.gov.in wherein (a) Government of India aims to utilize the massive reach of mobile phones and harness the potential of mobile applications to enable easy and round-the-clock access to public services, especially in the rural areas; and (b) the Framework aims to create unique infrastructure as well as application development ecosystem for m-Governance in the country; w.e.f. the date of notification.

SATVIR SINGH
Jt. Dir.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012